भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2282 का उत्तर

ऑनलाइन टिकट दलाल

2282. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या धोखाधड़ी वाले एक गेंग का पर्दाफाश हुआ है जो एक जटिल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बुकिंग आरंभ होने के केवल 40 सैकण्ड में ही तत्काल श्रेणी के 50% टिकट बुक कर लेता है, था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चूककर्ताओं के नाम और पते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तत्काल योजना के अंतर्गत भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

****

ऑनलाइन टिकट दलालों के संबंध में दिनांक 04.03.2020 को लोक सभा में श्री गोपाल शेट्टी के अतारांकित प्रश्न सं.2282 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल सुरक्षा बल चौकी, यशवंतपुर, बेंगलुरू सिटी में रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत दर्ज अपराध सं.758/2019 दिनांक 30.10.2019 के आपराधिक मामले की जांच में एएनएमएस अवैध रेल टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर की बिक्री में गुलाम मुस्तफा नाम एक अभियुक्त को 08.01.2020 को गिरफ्तार किया गया। इसे चलाने के लिए उसे कुछ अवैध सॉफ्टवेयर, उन्नत हैकिंग अनुप्रयोगों, क्रिप्टो करंसी अकाउंट का उपयोग करते पाया गया और इसके अलावा, जांच के दौरान उसके लैपटॉप से 3000 बैंक शाखाओं की एक सूची बरामद हुई। ई-टिकटों के अवैध सॉफ्टवेयर चलाने से जुड़े गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से मिले सुराग के आधार पर भारतीय रेलों में रेल सुरक्षा बल की चौकियों में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 25.02.2020 तक कुल 82 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा, इस मामले में राज्य पुलिस/दिल्ली पुलिस द्वारा भी काफी मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें तफ्तीश चल रही है।

उक्त अवैध सॉफ्टवेयर यात्री के फार्म में स्वत: ही जानकारी भरता है, लॉगइन को स्वत: ही पढ़ लेता है और कैप्चा भर देता है, बैंक के ओटीपी को बाईपास कर देता है और एक साथ ही कई जाली आईआरसीटीसी यूज़र आईडी को पुश कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल/अन्य बुकिंग काउंटर की खिड़की खुलते ही बड़ी संख्या में जाली आईआरसीटीसी यूज़र आईडी की कतार में आगे हो जाता है और साथ ही गाड़ियों में विभिन्न पुष्टिशुदा टिकटों पर कब्जा कर लेता है। रेल सुरक्षा बल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कार्रवाई करने के कारण इन सभी अवैध सॉफ्टवेयरों ने काम करना बंद कर दिया है और इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त अवैध सॉफ्टवेयरों को बंद करने के साथ-साथ रेल सुरक्षा बल, आईआरसीटीसी और क्रिस जैसे रेलवे के विभिन्न विभागों ने एकसाथ मिलकर यात्री आरक्षण प्रणाली की सुरक्षा विशेषताओं को अपग्रेड किया है। इससे अन्य सोफ्टवेयरों की कार्यप्रणाली भी बाधित हुई है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि यदि कोई अवैध सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके और ऐसे सॉफ्टवेयर इस प्रकार के कदाचार में संलिप्त नहीं हो सकें।

(ड.) तत्काल टिकटों सहित ई-टिकटों की बुकिंग में अनैतिक तत्वों/दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा अनेक जांचें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **1000 बजे से 1200 बजे के बीच प्रति उपयोगकर्ता द्वारा केवल 2 तत्काल टिकटें ही बुक करना।**
ii. **तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यादृच्छिक रूप से सुरक्षा प्रश्न शुरू करना।**

iii. रिटेल सेवा प्रदाताओं (एजेंटों) को प्रति दिन प्रति गाड़ी में केवल एक तत्काल टिकट बुक करना।

iv. पहले से दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर केवल एक आईआरसीटीसी यूज़र आईडी बनाना।

v. एक वैयक्तिक उपयोगकर्ता द्वारा एक माह में केवल 6 रेलवे टिकट बुक करने की सीमा निर्धारित की गई है। यदि उपयोगकर्ता अपने आईआरसीटीसी यूज़र आईडी को अपने आधार नंबर से लिंक कर देता है और यात्री सूची में से कम-से-कम एक यात्री आधार के माध्यम से प्रमाणित हो तो वह प्रति माह 12 रेल टिकट बुक कर सकता है।

vi. 0800 बजे से 1200 बजे के बीच वापसी/आगे की यात्रा को छोड़कर एक उपयोगकर्ता लॉगइन सेशन में केवल एक बुकिंग ही कर सकता है।

vii. तीन स्थानों पर डायनैमिक कैप्चा लगाया गया है- पंजीकरण के समय, लॉगइन और बुकिंग पेज पर ताकि ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जाली बुकिंग की जांच हो सके।

viii. उपयोगकर्ताओं द्वारा यात्री विवरण भरने के लिए अपेक्षित न्यूनतम समय की जांच करना और ई-टिकट बुकिंग के समय कैप्चा लगाना।

ix. अग्रिम आरक्षण अवधि बुकिंग और तत्काल बुकिंग खुलने के पहले पंद्रह मिनटों के दौरान टिकटें बुक करने के लिए आईआरसीटीसी के प्राधिकृत एजेंटों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

x. रेल टिकटें खरीदने और आपूर्ति करने के मामले में संलिप्त अप्राधिकृत व्यक्तियों/ एजेंसियों का पता चलने पर रेल सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाना। रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपराधियों को बुक करना।

xi. अवैध ई-टिकटों के मामलों का पता लगाने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए आईआरसीटीसी आईडी के प्रमाणन के लिए जांच आधारित प्रबल सॉफ्टवेयर का उपयोग करना।

*****